

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.)बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

क्रमांक -रीडर/ 2022/ 640

दिनांक :- 3/8/2022

मुकदमा नंबर 224/2022

प्राथी	बनाम	विप्राथीगण
1. नगाराम पुत्र बनाराम 2. किस्तुरी पत्नी तुलसाराम जाति जाट निवासीयान कानासर तह0 शिव जिला बाडमेर । 3. देवीलाल पुत्र भेरासाम जाति जाट निवासी गोदासों की बस्ती बायतु तहसील बायतु जिला बाडमेर		1. जैसलराम पुत्र युन्नीलाल जाति खारवाल निवासी पचपदरा 2. बंधु खां पुत्र उस्मान खां 3. वरगत खां पुत्र उस्मान खां 4. शेरु खां पुत्र उस्मान खां 5. हबीब खां पुत्र उस्मान खां 6. हासम खां पुत्र उस्मान खां 7. आमद खां पुत्र जले खां 8. सदीक खां पुत्र जले खां 9. हनीफ खां पुत्र जले खां जाति मुसलमान सभी निवासीयान सिधियों की ढाणी तहसील पचपदरा 10. सायरो पुत्री सुमान खां जाति मुसलमान निवासी जवारपुरा नवोडा बेरा तह0 पचपदरा 11. राजस्थान सरकार जरीये भूमि धारक तहसीलदार पचपदरा जिला बाडमेर ।

आदेश

दिनांक :-03.8.2022

उपर्युक्त प्रकरण मौजा सिन्धियों की ढाणी पटवारी क्षेत्र पचपदरा, भू-निरीक्षक पचपदरा तहसील पचपदरा में खेत खसरा नं0 1696/43 रकबा 0.2529 हैक्टेयर, खसरा सं. 1040/43 रकबा 0.3541 हैक्टेयर, खसरा सं. 1039/42 रकबा 0.4679 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1695/42 रकबा 0.2529 हैक्टेयर, तथा मौजा मण्डापुरा पटवार हल्का पचपदरा में प्राथी संख्या 02 के खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 1042/44 रकबा 4.0468 हैक्टेयर विवादित भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्राथीगण व अप्राथीगण को नोटिस/ पत्र के जरिये सूचित हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थगद्दी नहीं करने से बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनोंक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारानकी उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे कमिश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित किया जाता है, जो प्राथीगण द्वारा मौके पर अदा किया जायेगा। पुलिस इमदाद की यदि आवश्यकता हो तो सम्बन्धित पुलिस थाना से प्राप्त करें ।

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी
(SDO) बालोतरा

क्रमांक /रीडर/ 2022/ 641

दिनांक :- 3/8/22

प्रतिलिपि :- तहसीलदार पचपदरा को भेजकर लेख है कि नेखमबन्दी आदेशानुसार करना सुनिश्चित करे, साथ ही पालना रिपोर्ट भिजवाते समय फर्द मौका, फिल्ड बुक, राजस्व आवेदन संख्या व अनवान आवश्यक रूप से दर्ज कर भिजवाये।



उपखण्ड अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी
(SDO) बालोतरा